नई रजिस्ट्रीकरण संख्या के बाद हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम,2012 की धारा (4)के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण का संशोधित-पत्र)

सोसायाटी के रजिस्ट्रीकरण का संशोधित प्रमाण-पत्र

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि जिला रजिस्ट्रार फर्मज एण्ड सोसायटीज, पानीपत के पास दिनांक 03 अगस्त, 2010 को रजिस्ट्रीकृत/रजिस्ट्रीकरण संख्या 64 द्वारा रजिस्ट्रीकृत उक्त लाला चुन्नी लाल जैन चैरीटेबल ट्रस्ट, 624-एल, मार्डेल टाउन, पानीपत को हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012(2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या 1) के अधीन 01 अप्रैल, 2014 को नीचे यथा वर्णित अनुसार रजिस्ट्रीकृत संख्या आबंटित की गई है।

राज्य कोड		जिला कोड			रजिस्ट्रेशन का वर्ष				रजिस्ट्रीकरण संख्या				
एच0	आर	पी0	एन0	पी0	2	0	1	4	0	0	0	0	1
सोसायटी का नाम					रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता								
लाला चुन्नी लाल जैन चैरीटेबल ट्रस्ट,				624-एल मार्डेल टाउन, पानीपत									

यह प्रमाण-पत्र 01-04-2014 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया ।

दिनांक 01-04-2014
स्टेशन- पानीपत

एस0एन0 सिंह
जिला रजिस्ट्रार फर्मज एण्ड सोसायटीज,
पानीपत ।

लाला चुन्नी लाल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट

ज्ञापन पत्र (भाग–क)

1 समिति का नाम : लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट

2 समिति का पंजीकृत कार्यालय : 624 एल माडल टाउन पानीपत

3 समिति का कार्यक्षेत्र : पानीपत शहर जिला पानीपत आवश्यकतानुसार हरियाणा राज्य ।

4 इस समिति के उदेश्य निम्नलिखित हैं–

1) इस समिति का गठन पानीपत शहर के शिक्षित समाज द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था । जो समाज में व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। और विद्यालय, महिला कालेज, महिला मैडिकल, सम्बन्धित कालेज एवं डिप्लोमा महाविद्यालय एवं शिक्षा से सम्बन्धित सभी शिक्षण संस्थान और युवा व युवतियों के लिए आई टी आई खोलने का कार्य करती रहेगी।

2) यह समिति वर्तमान समय में समाज में कम्पयूटर की मांग को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कम्पयूटर शिक्षा फ़ैलाने का कार्य करेगी।

(President) Richa (Sec.)

3) यह समिति समाज के उस वर्ग तक हर प्रकार की शिक्षा निःशुल्क व कम से कम दर पर जितना भी सम्भव हो सके, पहुचांने प्रयास करेगी। जो वर्ग गरीबी या अज्ञानता के कारण, या किसी भी कारण से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता।

4) यह समिति समाज के गरीब युवकों व युवतियों को जो अपनी गरीबी के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके । उनको हर प्रकार की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराने का प्रयास करेगी ।

5) यह समिति समाज के उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग के युवक व युवतियो से प्राप्त फीस व फण्ड आदि से समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी।

6) यह समिति समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव कार्य करेगी जिसे समाज के लोंगों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो सकें।

7) यह समिति किसी भी राष्ट्रीकृत व प्राईवेट बैंक में अपनी धरोहर आदि देकर शिक्षिण संस्थान व विकास कार्यो के लिए कर्जा लेगी और इस खर्चे को समिति की आय से वापिस करेगी।

8) समिति भारत सरकार व हरियाणा सरकार से अनुदान लेकर विकास के कार्यो एवं शिक्षा के कार्य में कार्य करेगी।

9) इस समिति के उदेश्यो की पूर्ति को ध्यान में रखकर धन के लिए अपील जारी करना। चन्दा व दान के रूप में चल/अचल सम्पति,नगदी तथा सिक्योरिटी प्राप्त करना और सरकारी व गैर सरकारी समिति के साथ सम्पर्क स्थापित करना ।

(President) Richa (Sec.)

5. संगठन

इस समिति के संचालन और प्रबन्धन का सारा भार हरियाणा समिति रजिस्ट्रीकरण एक्ट 2012 के अनुसार प्रबन्धन समिति के उपर होगा ।

6. समिति की शर्ते :–

1 समिति की सम्पति तथा आय समिति के हित के लिए खर्च होगी। इस समिति की राशी या सम्पति का कोई भी भाग बोनस या डिविडेन्ड के रूप में किसी को नही दिया जायेगा

2 सभी सदस्य अवैतनिक होगें। कोई भी सदस्य वेतन नही लेगा। कार्यकारिणी या आम सभा का कोई भी सदस्य जो समिति के कार्य के लिए अपनी जेब कार्य खर्च करेगा वह राशी समिति की आय में से सदस्य को दी जायेगी । समिति के लिए किसी सदस्य से ली हुई राशी का ब्याज तथा मकान किराया जो समिति के प्रयोग के लिए होगा लिया गया हो वह समिति की आय में से देगे ।

3 यदि समिति को कोई लाभ या आमदनी होगी तो वह राशी समिति के हित के लिए खर्च की जायेगी ।

4 किसी कारणवश समिति बन्द होने की स्थिति में आ जाती है तो समिति की जायदाद, लेनदारी तथा देनदारी का कोई व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार नही होगा अपितु ऐसी स्थिति में किसी समान विचाराधारा वाली पंजीकृत समिति को सौंप दी जायेगी।

(President) Richa (Sec.)

लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट

समिति कार्यकारिणी की सूची वर्ष.........................

....

क्र0	सदस्य का नाम व पिता का नाम	पता	आयु	व्यवसाय	पद संबा	फोटो	ह 0
1	श्री अतुल जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन	624–एल माडल टाउन पानीपत	35	व्यवसायी	चेयरमैन		[signature]
2	श्री सुशील जैन पुत्र स्व. श्री नानक चन्द जैन	मण्डी मनी राम रेलवे रोड घरौंडा	48	व्यवसायी	उपचेयरमैन		Sushil Kumar
3	श्रीमति रीचा जैन पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण जैन	624–एल माडल टाउन पानीपत	32	गृहणी	सचिव		Richa
4	श्री नवीन जैन पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जैन	बी – 1/126 अशोक विहार, दिल्ली	45	व्यवसायी	कोषाध्यक्ष		Naveen Jain

Distt. Registrar of Firms & Societies * PANIPAT *

(President)

Richa (Secy.)

Signature Attested
Adv.

[illegible]	श्री संजय जैन पुत्र श्री स्व. श्री नानक चन्द जैन	वीर राईस मिल घरौण्डा	43	व्यवसायी	सदस्य		
6	श्रीमति निशा जैन पत्नी श्री नीरज जैन	बी–1 / 126 अशोक विहार दिल्ली	33	गृहणी	सदस्य		
7	श्री नीरज जैन पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण जैन	बी–1 / 126 फेस–2 अशोक विहार दिल्ली	37	व्यवसायी	सदस्य		

हस्ताक्षरों का सत्यापन

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NOTARY, Panipat

27/9/13

Signature Attested

(Sec.)

(President)

Distt. Registrar of Firms & Societies
PANIPAT

समिति का संविधान भाग–ख

1 लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी समिति है जिसका मुनाफा कमाना काम नही है। इसकी आय और सम्पति में ऐसे किसी व्यक्ति को नही दिया जा सकता जो समिति का सदस्य हो या ऐसे किसी सदस्य का उत्तराधिकारी हो । किन्तु किसी सदस्य या किसी व्यक्ति को समिति के हित में किये गये किसी कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक नही दिया जायेगा। इस समिति के सभी निर्वाचित अधिकारी तथा सदस्य अवैंतनिक होंगे।

2 परिभाषा :

समिति से हमारा तात्पर्य लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट से है यहां समिति की जनरल बाडी से तात्पर्य लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट के प्रबन्धन क्षेत्र से है जो इनके सदस्यों द्वारा चुनी जाती है प्रबन्धन समिति में कुल 5 पदाधिकारी है और 2 कार्यकारिणी सदस्य है और आवश्यकता के अनुसार अन्य सदस्य चेयरमैन व सचिव की सलाह से मनोनित किये जा सकते है। कार्यकारिणी में अधिकतम सदस्य संख्या 21 होगी ।

3 कार्यक्षेत्र:–

लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट पानीपत शहर जिला पानीपत आवश्यकतानुसार हरियाणा राज्य में कार्य करेगी।

Registrar of Firms & Societies PANIPAT

(President) Richa (Sec)

4 प्रबन्धन सभा : कार्यकारिणी :–

ललता सुरजभान शिक्षा प्रचार–प्रसार समिति की कार्यकारिणी का कार्यकाल केवल 3 वर्ष तक होगा। कार्यकारिणी के सभी निर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यगण अपने पदों पर केवल 3 वर्ष तक कार्य कर सकते है। यदि इस निश्चित काल से पहले कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो वह पद समिति की कार्यकारिणी द्वारा भर दिया जायेगा।

5 पदाधिकारियों के पद निम्नलिखित है :–

1 चेयरमैन 2 उपचेयरमैन 3 सचिव 4 सहसचिव 5 कोषाध्यक्ष कमांक 6–7 सदस्य है

6 लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट का कार्य हिन्दी देवनागरी लिपि में होगा।

7 सदस्यः–

1) आयु कम से कम 21 वर्ष हो ।

2) जिस व्यक्ति की समिति के 2 पूर्व सदस्यों ने सिफारिश की हो

3) जिस व्यक्ति ने समिति का निश्चित शुल्क दे दिया हो ।

4) जो व्यक्ति समय–2 पर प्रबन्धन समिति द्वारा निश्चित की गई योग्यताओं से परिपूर्ण हो

5) जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो । तथा वह किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो ।

6) वह नियमन सचिव को आवेदन करेगा तथा ऐसे सदस्यों के आवेदन अगली आम सभा की बैठक में प्रस्तुत किये जाऐगे । ऐसे सदस्यों की सदस्यता बारे आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा ।

Distt. Registrar of Firms & Societies PANIPAT

(President) Richa (Sec.)

7) सदस्यता शुल्क समिति के बैंक खाते में चैक द्वारा जमा करवाया जाएगा ।

8) वह मानसिक रूप से विकृत ना हो।

8 **शुल्कः–**

समिति के आजीवन सदस्य बनने के लिए एक मुश्त 2100/–रूपये व तथा साधारण सदस्य बनने के लिए प्रवेश शुल्क 200/–रूपये व 100/– रूपये सालाना जमा करवाने होंगे।

9 **सदस्यता का वर्गीकरण :–**

1 **आजीवन सदस्यः–** समिति के आजीवन सदस्य वे व्यक्ति होगे जो समिति द्वारा आजीवन सदस्य के लिए तय शुल्क एक मुश्त 2100/–रूपये अदा करेंगे और समिति के हित में कार्य करेगे।

2 **साधारण सदस्यः–** समिति के साधारण सदस्य वे होगे जो सालाना शुल्क अदा करके सदस्यता प्राप्त करेंगे समिति के हित में कार्य करेंगे।

3 **सम्मानित सदस्यः–** सम्मानित सदस्यों मे वे सदस्य शामिल होंगे जो तन–मन–धन से समिति के लिए कार्य करेंगे और हर प्रकार से समिति के हित की बात सोचेगे व करेंगे तथा समिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना अहम योगदान देंगे। सम्मानित सदस्यों को वोट का अधिकार नही होगा।

10 सदस्यता समाप्त करना ।

प्रबन्धन समिति को अधिकार है कि निम्नलिखित कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है ।

10 सदस्यता समाप्त करना ।

प्रबन्धन समिति को अधिकार है कि निम्नलिखित कारणों से किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती है ।

1 जब किसी सदस्य का देहान्त हो जाये ।

2 जब कोई सदस्य पागल हो जाये।

3 जब कोई सदस्य सदस्यता से स्वंय त्याग पत्र दे दे।

4 यदि प्रबन्धन समिति के 2/3 सदस्यों द्वारा यह निर्णय कर दिया जाये कि सदस्य समितिके विपरित कार्य कर रहा है ऐसी अवस्था में उस सदस्य को 15 दिन का कारँण बताओं नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाऐगा जिसका जवाब मिलने पर आम सभा द्वारा निर्णय किया जाऐगा।

5 यदि कोई सदस्य सदस्यता लगातार शुल्क ना दें।

6 यदि कोई सदस्य समिति को छोडकर चला जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाऐगी। ऐसे सदस्य को भी पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया जाएगा ।

7 जब कोई सदस्य या पदाधिकारी किसी वितिय अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाएगा तथा आवश्यक जांच उपरान्त निर्णय लिया जाएगा।

ख) सदस्यता प्राप्त करना।

1 जिस सदस्य ने समिति में अपना बकाया शुल्क जमा कर दिया हो

2 आम सभा की बैठक में अपनी गलती मान ली हो। यदि उसके द्वारा गलती की गई हो ।

(President) Richa (Sec.)

11 चुनाव :

कार्यकारिणी द्वारा आम सहमति से चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाऐगा ऐसे व्यक्ति से निष्पक्ष तथा स्वच्छ कार्य की अपेक्षा की जाएगी । सचिव चुनाव अधिकारी को कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सदस्यों की सूची अधिकारी को सोपेंगा। 3 वर्ष की अवधि के अन्दर चुनाव कर दिया जायेगा। चुनाव में आवश्यकता अनुसार कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट में से ही चुने जा सकते है। जो व्यक्ति समिति का सदस्य होगा, तथा उसकी और समिति का सदस्यस्ता शुल्क बकाया ना हो। वही प्रबन्धन समिति के पद पर चुनाव लड सकता है। चुनाव सर्व सम्मति से बैलेट पेपर डालकर किया जायेगा। चुनाव के लिए समिति द्वारा एक चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा समिति की कार्यकारिणी का चुनाव समिति द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी अथवा जिला रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी की उपस्थिति में करवाया जाऐगा। चुनाव परिणाम की सूचना जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में 15 दिन के अन्दर अन्दर प्रस्तुत कर दी जाऐगी। जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरान्त नवगठित कार्यकारिणी अपना कार्य आरम्भ करेगी ।

12 क. कोरमः–

किसी भी आम समिति की मीटिंग का कोरम 2/3 होगा यदि किसी कारण वंश पहली मिटिंग में 2/3 सदस्यो की उपस्थिति न होने के कारण यदि कोरम पूरा नही होता तो ऐसी बैठक रदद समझी जाएगी ।

(President) Richa (Sec.)

12 ख <u>आम सभा की बैठक</u>

1) जनरल बाडी की सभा का आयोजन वर्ष में एक बार होगा । यह बैठक मार्च के अन्तिम सप्ताह में होगी ।

2) यह वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करेगी और वार्षिक आय और व्यय के बजट को चैक करेगी तथा स्वीकृत करेगी ।

3) यह आगामी वर्ष के लिए हिदायत देगी ।

4) जब कभी जनरल बाडी की आपातकालीन सभा बुलानी हों तो उसके लिए प्रबन्धन सभा के 1/2 से ज्यादा सदस्यो की लिखित रूप में स्वीकृति होनी चाहिए । ऐसी सभा बुलाने के लिए सूचना पत्र में सभा के कारण भी लिखे हुए होने चाहिए।

5) जिला रजिस्ट्रार को आम सभा की बैठक का ऐजैण्डा तथा कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रति बैठक सम्पन्न होने के 15 दिन के अन्दर–2 प्रेषित की जाऐगी ।

13 <u>समिति के अधिकार व कर्तव्य</u>

क) जनरल बाडी (महासभा)

1) समिति के उदेश्यो अनुसार सभी अधिकार जनरल बाडी के पास रहेंगे ।

2) समिति के वार्षिक आय और व्यय का हिसाब पास किया जायेगा ।

3) समिति के उदेश्य अनुसार कार्य करने की नीति को पास करेगी ।

4) जनरल बाडी के कुल सदस्यो मे से 1/3 सदस्य आपातकालीन बैठक बुला सकते है लेकिन ऐसी बैठक मे कोई भी नीतिगत निर्णय नही किया जा सकता।

5) जनरल बाडी के 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रबन्धन समिति के कर्तव्य व अधिकारो

(President) Niche (Sec.)

को बढाया या घटाया जा सकता हैं। ऐसे संशोधन की पुष्टि जिला रजिस्ट्रार से 30 दिन के अन्दर–2 करवाई जायेगी । जिला रजिस्ट्रार की पुष्टि के पश्चात ही संशोधन लागू समझा जाएगा ।

6) समिति के 2/3 सदस्यो के बहुमत से प्रबन्धन समिति को समाप्त किया जा सकता है और दोबारा चुनाव करवाया जा सकता है ।

7) जनरल बाडी समिति के निश्चित उदेश्यो एवं प्रस्ताव के अतिरिक्त यदि किसी विषय पर विचार करना चाहती है तो चेयरमैन की आज्ञानुसार विचार विमर्श कर सकती है ।

8) समिति के संविधान में किसी प्रकार के संशोधन बारे चर्चा करके स्वीकृत करना, कोई भी संशोधन जिला रजिस्ट्रार के अनुमोदन उपरान्त ही लागू समझा जाएगा ।

ख) कार्यकारिणी की बैठक

1) समिति के सभी शासन सम्बन्धी अधिकार प्रबन्धन समिति के पास रहेंगे ।.

2) जनरल बाडी के लिए सभी प्रस्ताव प्रबन्धन समिति द्वारा तैयार किये जायेंगे ।

3) यदि प्रबन्धन समिति का कोई सदस्य या पदाधिकारी लगातार तीन सभाओ में अनुपस्थित रहा हो तो प्रबन्धन समिति को यह अधिकार है कि वह उसको हटा कर कार्यभार किसी अन्य सदस्य को नियुक्त करके उसको सम्भाल दें । इसकी पुष्टि आम समिति की बैठक मे करवाई जाऐगी ।

4) समिति का वार्षिक बजट पर विचार विमर्श व तैयार करना, आम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(President) Richa (Sec.)

5) निश्चित प्रस्तावों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य विषय पर विचार करना हो तो चेयरमैन के निर्देशानुसार इस विषय पर विचार विमर्श कर सकती है ।

6) समिति के उदेश्यानुसार कार्य करने की नीति तैयार करने का अधिकार प्रबन्धन समिति को है।

7) कार्यकारिणी की बैठक हर 4 माह वाद आयोजित की जाएगी ।

14 प्रबन्धन समिति के पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकारः

1 चेयरमैन

1) प्रबन्धन या जनरल बाडी की बैठक की अध्यक्षता प्रबन्धन समिति का चेयरमैन करेगा।

2) किसी प्रस्ताव के पक्ष–विपक्ष में बराबर मत होने पर चेयरमैन का मत निर्णायक होगा।

3) जब किसी प्रबन्धन समिति में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाये तो चेयरमैन की व्याख्या अन्तिम निर्णय होगा जो सबको स्वीकार होगा ।

4) चेयरमैन को अधिकार है कि समिति का कार्य निश्चित समय पर शुरू करे और समाप्त करे।

5) चेयरमैन को अधिकार है कि जब भी वह चाहे वह स्वंय अथवा सचिव द्वारा समिति या जनरल बाडी की बैठक 15 दिन के नोटिस पर बुला सकता है।

6) यदि प्रबन्धन समिति का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो तो वह स्वयं जनरल बाडी की सभा बुलाकर 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रबन्धन समिति को समाप्त कर सकता है।

7) चेयरमैन प्रबन्धन समिति के निर्णय के अनुसार सरंक्षक नियुक्त कर सकता है ।

(President) (Sec.)

8) यदि प्रबन्धन समिति में किसी प्रकार की गड़बड़ चल रही हो तो प्रबन्धन समिति के कुल सदस्यों का साधारण बहुमत चेयरमैन को लिखकर दे कि प्रबन्धन समिति सही कार्य नही कर रही है। तो ऐसी अवस्था चेयरमैन अपने विशेष अधिकार प्रयोग करते हुए कार्यकारिणी को भंग करके, नियमानुसार आम सभा की बैठक बुला सकता है । तथा इस विषय में आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है ।

9) चेयरमैन प्रबन्धन समिति में से 5000/– रूपये तक व्यय कर सकता है लेकिन प्रबन्धन समिति की आगामी बैठक में उस व्यय को पास करवाना होगा ।

2 उपचेयरमैन

इस समिति में एक पद उपचेयरमैन का बनाया गया है। जो समिति के हर प्रकार के कार्यो मे चेयरमैन का सहयोग करेगा । और चेयरमैन की अनुपस्थिति में चेयरमैन के सभी अधिकारो व कृतव्यों को पूरा करेगा। तथा समय समय पर प्रबन्धन समिति द्वारा दिये गये कार्यो को पूरा करेगा।

3 सचिव

1) समिति के उदेश्यो के अनुसार समिति के दिन–प्रतिदिन के कार्यक्रम का प्रबन्ध करेगा।

2) जनरल बाडी अथवा प्रबन्धक समिति की बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करना। तथा बैठक आयोजित करवाने हेतू आवश्यक व्यवस्था करना।

3) सचिव स्वंय अथवा चेयरमैन के निर्देशो के अनुसार प्रबन्धन समिति तथा जनरल बाडी की बैठक में पूर्व वर्ष की आय और व्यय की तैयार रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4) आगामी वर्ष के लिए वार्षिक बजट तैयार करना व पेश करना ।

(President) Richa (Sec.)

5) जनरल बाडी की वार्षिक बैठक में पूर्व वर्ष की आय और व्यय की रिपोर्ट देना ।

6) समिति की तरफ से सचिव जनता,अन्य संगठनों और सरकार आदि से जो अनुदान प्राप्त करे समिति की तरफ से रसीद काट कर दें। परन्तु वह धनराशि 48 घण्टे के अन्दर ही कोषाध्यक्ष को देनी होगी। और प्रबन्धन समिति को आगामी बैठक में इसकी सूचना देनी होगी।

7) जब कभी भारत सरकार व राज्य सरकार अथवा किसी समिति से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करनी हों तो प्रबन्धन समिति की बैठक बुलाकर विचार–विमर्श करके प्रस्ताव पास करवाये।

8) समिति की तरफ से सचिव को अधिकार है कि वह समिति के किसी झगडे को कोर्ट मे दायर करें लेकिन मुकदमा दायर करने से पहले समिति से स्वीकृति लेनी होगी।

Registrar of Firms & Societies Distt. PANIPAT

4 सहसचिव

इस समिति में एक पद सहसचिव का बनाया गया है जो समिति के हर प्रकार के कार्यो में सचिव का सहयोग करेगा और सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के सभी अधिकारों व कृतव्यो को पूरा करेंगा ।

5 कोषाध्यक्ष

1) समिति का सारा हिसाब–किताब करके किसी बैंक या डाकघर में जमा करने का कार्य कोषाध्यक्ष का होगा।

2) जब भी कहीं से समिति को पैसा मिलता है। तो कोषाध्यक्ष को यह पैसा एक सप्ताह के अन्दर ही डाकघर या बैंक में जमा करवाना होगा।

(President) Richa (Sec)

3) समिति की आय और व्यय का हिसाब निश्चित रजिस्टर में नियमित रूप से रखना होगा।

4) समिति के हिसाब की जांच की स्थिति में उसे लेखाकार के सम्मुख अकांउट रजिस्टर, वाउचर,रसीद तथा दूसरे प्रशासनिक कागज देने होंगे ।

5) कोषाध्यक्ष को अधिकार है कि वह समिति के नाम नजदीकी बैंक व डाकखाना में समिति द्वारा बनाये रेजूलेशन के अनुसार खाता खुलवाये व चैक जारी करें लेकिन चैक जारी करने से पहले उस पर चेयरमैन,सचिव व कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के हस्ताक्षर करवाये।

15 विधान मे संशोधन करना

1) विधान मे संशोधन समिति के प्रस्ताव पर आम बैठक के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है।

Distt. Registrar of Firms & Societies * PANIPAT *

2) सविधान में संशोधन बारे एजैन्डा समिति के सभी सदस्यों को बैठक के कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप में भेजना होगा। किसी भी प्रकार का सशोधन आम बैठक द्वारा आम बहुमत से अनुमोदित होना अनिवार्य है तथा इसकी पुष्टी जिला रजिस्ट्रार से करवाई जानी अनिवार्य है । अन्यथा ऐसा संशोधन लागू नही समझा जाऐगा ।

16 समिति का निपटान

किसी कारणवश इस समिति के बन्द होने की स्थिति मे समिति की जायदाद, लेनदारी व देनदारी का कार्य किसी एक व्यक्ति या सदस्य व्यक्तिगत रूप में जिम्मेवार नहीं होगा अपितू किसी स्थिति में इस समिति की अचल व चल सम्पति को किसी समान विचाराधारा वाली रजिस्टर्ड समिति को सौंप दी जायेगी।

17 वार्षिक विवरणी,तुलना पत्र

समिति अधिनियम 2012 के अनुसार अपनी कार्यकारिणी की सूची सी.ए. द्वारा ऑडिटिड बैलंस शीट प्रतिवर्ष जिला रजिस्ट्रार को नियमित तौर पर हर वर्ष प्रस्तुत करेगी ।

(President) Richa (Sec.)

13 अन्य मामलेः–

1) अन्य मामले जिनका उल्लेख उपर नही किया जा सका वह सभी समिति रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012 (हरियाणा) के अनुसार लागू होंगे ।

2) समिति की आम बैठक जिला रजिस्ट्रार या उनके प्रतिनिधि के देख रेख में सम्पन्न करवाई जायेंगी। हम प्रमाणित करते है कि यह लाला चुन्नी लाल जैन चेरिटेबल ट्रस्ट सविधान की सत्य प्रतिलिपि है ।

गवाहनः 1 नाम Balram Sitaram पिता का नाम Sh. Dharmbir

पूरा पता 8-Marla Colony, Panipat

मो0नम्बरः– 7206906000 हस्ताक्षर

2 नाम Kamal पिता का नाम Sh Lakshmi Chand

पूरा पता Shivkantala Complex, Panipat

मो0 नम्बरः– 7206905000 हस्ताक्षर

चेयरमैन सचिव कोषाध्यक्ष

Distt. Registrar of Firms & Societies PANIPAT

Distt. Registrar of Firms & Societies
PANIPAT